UPJS010041562019

न्यायालय विशेष न्यायाधीश(विद्युत अधिनियम) / अपर सत्र न्यायाधीश, झांसी।

CNR NO- UPJS01-004156-2019

सत्र वाद संख्या- १०२२/ २०१९

सरकार बनाम मोहम्मद अनीश

धारा- १३५(१) (बी) भारतीय विद्युत अधिनियम,
थाना- मऊरानीपुर, जिला झांसी
मु०अ०सं०- ४७३/ २०१८

आरोप

मैं, **धीरेन्द्र कुमार- तृतीय**, विशेष न्यायाधीश(विद्युत अधिनियम) / अपर सत्र न्यायाधीश, झांसी, आप अभियुक्त **मोहम्मद अनीश** पर निम्न आरोप लगाता हूं-

१. यह कि दिनांक- १५. ०७. २०१८ से १८. ०८. २०१८ के मध्य समय भिन्न बजे वहद स्थान मै० अनीस राईन एण्ड कम्पनी रूपाधमना थाना मऊरानीपुर जिला झाँसी में विद्युत विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा विद्युत चैकिंग के दौरान आपके द्वारा मैन व पोल मीटर मनें बाह्य बल का प्रयोग करके मीटर का कवर ओपन किया गया एवं मीटर को धीमा करने हेतु बाह्य उपकरणों को मीटर की आन्तरिक सर्किट में स्थापित किया गया, जिस कारण मैन एवं पोल दोनों मीटर ५६ प्रतिशत धीमे पाये गये। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध किया है, जो धारा १३५(१) (बी) भारतीय विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है, जिसका संज्ञान लेने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

अतएव आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त आरोप हेतु आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक- ०३. ०४. २०२३

(धीरेन्द्र कुमार- तृतीय)
विशेष न्यायाधीश(विद्युत अधिनियम) /
अपर सत्र न्यायाधीश, झांसी।

उपरोक्त आरोप को अभियुक्त को पढकर सुनाया एवं समझाया गया, उसने लगाये गये आरोप से इन्कार किया तथा विचारण चाहा।

दिनांक- ०३. ०४. २०२३

(धीरेन्द्र कुमार- तृतीय)
विशेष न्यायाधीश(विद्युत अधिनियम) /
अपर सत्र न्यायाधीश, झांसी।